A-6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
174 / प्रा.पत्र / 2017	13.04.2017	24.07.2019

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली, जिला बून्दी।

– प्रार्थी

बनाम

महावीर, मुकेश आ. बाबूलाल जाति महाजन निवासी सावतगढ, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 15.06.1976 निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से – श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थी महावीर, मुकेश आ. बाबूलाल जाति महाजन निवासी सावतगढ़, तहसील हिण्डोली के पिता बाबूलाल आ. कल्याण को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन खसरा नं. 403 रकबा 05 बीघा ग्राम नीमोद, तहसील हिण्डोली को निरस्त करवाने हेतु इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी व अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस पेरोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क पेश किये कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण के पिता को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी अभिभाषक ने बहस के दौरान जवाब को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीगण के पिता को आवंटन कमेटी द्वारा सम्पूर्ण कोरम में नियमानुसार आवंटन किया गया है। आवंटन के पश्चात् आवंटी

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

को मौके पर दखल दिया गया है। दखल दिया जाकर पट्टा जारी किया गया है। उसके उपरान्त आवंटी को गैर खातेदार दर्ज किया गया है। आवंटन के पश्चात लगातार आवंटी व उसके मृत्यु के बाद उसके वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अन्य व्यक्तियों का कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थी ने पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर यह प्रार्थना पत्र आवंटन खारिज करने बाबत पेश किया गया है। जो न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी आवंटी के सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। मात्र महावीर व मुकेश को ही पक्षकार बनाया गया है। इसलिये अन्य पक्षकारान को सुनवाई का अवसर नहीं मिलां है। इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण के पिता बाबूलाल आ. कल्याण को दिनांक 15.06.1976 को ग्राम नीमोद में खसरा नं. 403 रकबा 05 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण कोरम में आवंटन किया गया है। आवंटी भूमिहीन कृषक होने से पटवारी रिपोर्ट के अनुसार बाद जांच आवंटन किया गया है। आवंटन के पश्चात् आवंटी को दिनांक 16.06.1976 को दो गवाह के समक्ष आवंटित भूमि पर कब्जा दिया गया है। आवंटित भूमि की कब्जा रिपोर्ट में नजरी नक्शा तरमीम है जो दखलनामा के पुश्त पर दर्ज है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त है लेकिन प्रार्थी ने अन्य व्यक्तियों के कब्जा काश्त होने बाबत् कोई राजस्व रेकार्ड दस्तावेज पेश नहीं किये है। जिससे अन्य व्यक्तियों का कब्जा साबित नहीं होता है। अप्रार्थी को पूर्ण कोरम में विधिपूर्ण तरीके से आवंटन किया जाकर नियमानुसार कब्जा दिया गया है एवं गैर खातेदार दर्ज किया गया है। जिसमें कोई विधिक दोष होना प्रमाणित नहीं होता है। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात आवंटी स्वतः ही खातेदार कृषक बन जाता है। यदि अन्य किसी व्यक्ति का मौके पर कब्जा काश्त है तो वह अप्रार्थी की आवंटित भूमि पर अतिक्रमण की हैसियत से काबिज है। प्रार्थी ने आवंटी बाबू लाल आ. कल्याण जाति महाजन के सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिये भी प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के पिता बाबू लाल आ. कल्याण जाति महाजन को किया गया आवंटन दिनांक 15.06.1976 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली नियमानुसार फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बूंदी (राज.)